

ग्रिड-कनेक्टेड नेट मीटरिंग आधारित सोलर रूफटाप संयंत्र लगवाने वाले घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 1 कि०वा० से 3 कि०वा० क्षमता तक के संयंत्र पर संयंत्र लागत का 40 प्रतिशत एवं 03 कि०वा० से 10 कि०वा० क्षमता तक के संयंत्र पर, 03 कि०वा० क्षमता तक की लागत का 40 प्रतिशत तथा 03 कि०वा० से ऊपर की क्षमता की लागत का 20 प्रतिशत जोड़कर उक्त के बराबर केन्द्रीय अनुदान अनुमन्य है। उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार भी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को नेटमीटर आधारित सोलर रूफटाप संयंत्रों की स्थापना पर रू० 15000/-प्रति किलोवाट की दर से अधिकतम प्रति उपभोक्ता रू० 30000/- का अनुदान उपलब्ध कराती है।

संयंत्र स्थापना के उपरांत डिस्कॉम के अधिकारी द्वारा किये गये संयुक्त निरीक्षण की आख्या

डब्लूडब्लूडब्लू.यूपीएनईडीएसओएलएआरआरओओएफटीओपीपीओआरटीएएल.सी ओएम पर अपलोड होने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी यूपीनेडा द्वारा सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में भेजी जाती है तथा भारत सरकार द्वारा देय अनुदान संबंधित डिस्कॉम द्वारा वेण्डर को उपलब्ध कराया जाता है, जो उक्त अनुदान की राशि को घटाकर ही संयंत्र स्थापना का बिल उपभोक्ता से चार्ज करता है।

इस लक्ष्य आधारित लाभार्थीपरक योजना में उपभोक्ता को सब्सिडी का ट्रांसफर, योजनान्तर्गत प्राप्त लक्ष्य, बजट की उपलब्धता एवं लाभार्थी द्वारा वांछित अभिलेख पोर्टल पर अपलोड कराये जाने के अनुसार न्यूनतम समय में किया जाता है।

दिनांक 20.08.2019 से लागू योजना की नवीन गाइडलाइन के अनुसार, केन्द्रीय अनुदान की धनराशि डिस्कॉम के माध्यम से, संबंधित उपभोक्ता को नहीं बल्कि संयंत्र स्थापित करने वाले वेण्डर को भुगतान किये जाने की व्यवस्था लागू है।

उपरोक्तानुसार

ए० के० शर्मा

मंत्री,

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग।